141

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.क्र. /2016 निग– 3112– I/16

1. शिवप्रसाद पुत्र बाबूलाल
2. प्रेमप्रकाश पुत्र बाबूलाल कुशवाह दोनों निवासी ग्राम खिमलासा तहसील खुरई जिला सागर म.प्र. ....आवदेक

दिनांक 12.9.16 को श्री शिव प्रसाद आवेदक क्र 1 स्वयं द्वारा प्रस्तुत / 12.9.16

विरूद्ध

भगवानदास पुत्र सुक्के कुशवाह निवासी ग्राम खिमलासा तहसील खुरई जिला सागर म.प्र. .....अनावेदक

50

शिव प्रसाद

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व 1959

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

इस प्रकार हैं न्यायालय नायाब तहसीलदार खिमलासा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 79–अ–6 वर्ष 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2004 के विरूद्ध अनावेदक ने लगभग 10 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष उक्त आदेश के विरूद्ध अविधि वाधित अपील तथ्यों को छिपाते हुये प्रस्तुत की उक्त अपील प्रकरण क्रमांक 32–अ–6 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2014 द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 10.11.2004 निरस्त कर उभयपक्षों को पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण प्रत्यावेदित किया जिसके विरूद्ध आवेदकगणों ने माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की उक्त अपील

प्रेम प्रकाश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3112/एक/2016 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-10-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा तहसीलदार खुरई सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 79/अ–6(अ)/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि नायब तहसीलदार मण्डल खिमलासा तहसील खुरई के प्रकरण क्रमांक 79/अ–6(अ)/2003–04 मे पारित आदेश दिनांक 10.11.2004 के विरूद्व अनावेदक ने लगभग 10 वर्ष पश्चात् अपील अनुविभागीय अधिकारी खुरई के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जो पारित आदेश दिनांक 09.01.2014 द्वारा स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 10.11.2004 निरस्त कर उभय पक्षों को पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में अपील प्रकरण कमांक 340/अ.6(अ)/2013–2014 प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 26.05.2015 द्वारा निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी खुरई का आदेश यथावत् रखा। उक्त आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 2360/एक/2015 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 3.03.2016 द्वारा गुण दोषो पर आदेश किये बिना ही	

प्रकरण तहसीलदार खुरई का प्रत्यावर्तित किया। आवेदक ने उसके बताये अनुसार तहसीलदार के समक्ष आवेदन लगा दिया चूकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचार किया जा रहा है अतः इस प्रक्रम पर राजस्व मण्डल में प्रकरण के साथ साथ विचार करना उपयुक्त नहीं समझता। अतः प्रकरण प्रत्यावर्तित कर तहसीलदार खुरई को निर्देश दिया गया कि वह आवेदन के अनुक्रम में उभय पक्षों एवं समस्त हितवद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये समस्त बिन्दुओं पर बोलता हुआ आदेश पारित करें। ताकि विवाद प्रकरण में आगे विवाद की स्थिति अनावश्यक रूप से उत्पन्न न हो। इसके साथ ही प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त किया है उक्त आदेश के परिपालन में तहसीलदार खुरई के प्रकरण क्रमांक 79/अ–6(अ)/2003–04 में आदेश दिनांक 08.06.2016 द्वारा हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक से पूर्व प्रतिवेदन की समीक्षा का दस्तावेज के आधार पर बंदौबस्ती त्रुटि सुधार हेतु तुलनात्मक प्रतिवेदन आहूत करने का आदेश दिनांक 21.06.2016 को पारित किया। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश का पूर्ण क्रियान्वयन कर प्रकरण समाप्त किये जाने का अनुरोध किया। जिसके परीपेक्ष में तहसीलदार खुरई के द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2016 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 03.03.2016 में दिये गये। निर्देशों के विपरीत जाकर प्रकरण में आवेदकगण की भूमि खसरा नं. 479/3 रकवा 0.09 है0 एवं खसरा नं. 479/5 रकवा 0.09 है0 भूमि अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज कर दी। जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3— निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक भगवान दास द्वारा अन्य भूमियों के साथ साथ भूमि खसरा 479/1 रकवा 0.71 एकड़ भूमि की दुरूस्ती हेतु दिनांक 28.12.2003 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसपर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खिमलासा द्वारा तुल्नात्मक प्रतिवेदन आहूत किया। उक्त प्रतिवेदन दिनांक 04.09.2004 के द्वारा उक्त प्रतिवेदन अनावेदक भगवानदास, बाबूलाल, शिवप्रसाद, प्रेमप्रकाश, लज्जू, राजाराम की उपस्थिति में हल्का पटवारी रामराज द्वारा मौके पर तैयार कर कब्जा एवं दस्तावेजो के आधार पर तैयार किया गया। उक्त तुल्नात्मक प्रतिवेदन कॉलम नं. 7 इस न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया जिसमें पुराना खसरा नं. 479/1 रकवा 0.28 है0 भगवानदास पुत्र सुक्के के नाम बंदौबस्त पूर्व था। जिसका नया खसरा नं. 534 रकवा 0.37 है0 बंदौबस्त त्रुटि द्वारा भगवानदास पुत्र सुक्के के नाम हुयी जिसकी बंदौबस्त त्रुटि सुधार कर तुल्नात्मक सारणी कब्जा प्रतिवेदन दिनांक 04.09.2004 के द्वारा खसरा नं. 534/1 रकवा 0.19 है0 भूमि अनावेदक भगवानदास के पिता सुक्के के नाम पर रिकार्ड में प्रस्तावित की गयी। इसके साथ ही साथ आवेदकगण प्रेमप्रकाश पुत्र बाबूलाल को पुरानी भूमि खसरा नं. 479/5 रकवा 0.14 है0 प्रेमप्रकाश पिता बाबूलाल को 479/3 रकवा 0.14 है0 शिवप्रसाद बाबूलाल के नाम से बंदौबस्त के पूर्व दर्ज थी। जो बंदौबस्त त्रुटि के कारण खसरा नं. 534 रकवा 0.37 है0 किये जाने से भगवानदास के नाम से बंदौबस्त की त्रुटि हुयी जिससे सुधार किये जाने हेतु आवेदन एवं अनावेदकगण भगवानदास एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति

दिनांक

बंदौबस्त के पूर्व अभिलेख एवं मौका एवं कब्जा के अनुसार खसरा नं. 534 / 2 रकवा 0.09 है0, शिवप्रसाद पिता बाबूलाल को प्रस्तावित खसरा नं0 534 / 3 रकवा 0.09 है0, प्रेमप्रकाश पुत्र बाबूलाल को प्रस्तावित की। उक्त तुल्नात्मक प्रतिवेदन एवं नक्शा अक्श पर अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण एवं अनावेदक भगवानदास जोकि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक था। अधीनस्थ न्यायालय के उभय पक्षों को सुना गया एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर नायब तहसीलदार खिमलासा द्वारा प्रकरण क्रमांक 79 / अ–6(अ) / 03–04 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2004 द्वारा अभिलेख दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया था जिसकी अपील अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई के न्यायालय में 9 वर्ष विलंब के पश्चात् प्रस्तुत की जिसपर आवेदक प्रेमप्रकाश एवं शिवप्रसाद को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से आदेश दिनांक 10.11.2004 निरस्त किया है एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नायब तहसीलदार खिमलासा को प्रत्यावर्तित कर जो आदेश दिया है वह पूर्णतः विधि विरूद्व त्रुटि पूर्ण है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 09.01.2014 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं उक्त आदेश को अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण कमांक 340 / अ–6(अ) / / 2013–2014 आदेश दिनांक 26.05.2015 द्वारा उचित माना गया जबकि उक्त आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4– आवेदक अभिभाषक के तर्को के परिपेक्ष्य में एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2014 अधिकारिता रहित विधि विरूद्व

होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आवेदक द्वारा भूमि खसरा नं. 534 रकवा 0.71 डि0 भूमि के रिकार्ड दुरूस्ती चाही गयी थी जिसके संबंध में उभय पक्षों को नायब तहसीलदार खिमलासा द्वारा विधिवत् रूप से सुना गया था। तथा प्रतिवेदन की कण्डिका 7 से सहमत होते हुये नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 79/अ–6/03–04 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2004 द्वारा भूमि खसरा नं. 534 रकवा 0.37 है0 में से 0.19 है0 भूमि अनावेदक भगवानदास को एवं खसरा नंबर 534/2 रकबा 0.9 है0 भूमि आवेदक शिवप्रसाद को एवं खसरा नंबर 534/3 रकबा 0.9 है0 भूमि आवेदक कमांक 2 प्रेमप्रकाश के नाम पर दर्ज करने के आदेश दिये गये थे जो पूर्व अभिलेख अनुसार उचित है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार खुरई के आदेश प्रकरण कमांक 79/अ–6(अ)/03–04 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2014 एवं अपर आयुक्त का प्रकरण कमांक 340/अ–6/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 26.05.15 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एव नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 79/अ–6(अ)/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2004 स्थिर रखा जाकर खसरा नंबर 534/2, रकबा 0.9 है0 एवं 534/3 रकबा 0.9 है0 भूमि पर आवेदकगणों के नाम दर्ज किये जाने के तहसीलदार खुरई को आदेश दिये जाते है । शेष अन्य खाताधारकों अधीनस्थ न्यायालय में अभिलेख दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

सदस्य